

तारीख हुक्म

हुक्म वा कार्यवाही मय लघुहरताकर जज
प्र.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11/07/2022

18-1-24

पत्रावली पेश हुई। उक्त उभय पक्षकारान् पत्रावली पेश की गई है।

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-सीकर

पत्रावली पेश हुई। उक्त उभय पक्षकारान् पत्रावली पेश की गई है। पत्रावली वास्तु अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23-1-24 को पेश हो।

23.01.2024

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र में वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर आज अन्तरिम निर्णय पारित किया जाकर दावा में प्रारम्भिक डिक्री जारी हो चुकी है। अतः मूल वादपत्र में प्रारम्भिक डिक्री जारी हो जाने से इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज की जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2022 को जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को अपास्त किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


Pallor
23/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)